

पंजिकृत रसीदी
उल्लंघन पत्र

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर 305002

ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

सं. राज/जैसल-14/चूप-2

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines

Makhupura Industrial Estate, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

दिनांक: 22-2-2016

प्रेषित: सर्वश्री राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लि.
पोस्ट बॉक्स 56, खनिज भवन, निकट बी.पी. टेन्क,
जैसलमेर-345 001

विषय: राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी सानू खान एम एल नं 01/97, क्षेत्रफल 998.4 हैक्टेयर में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान
कोड संख्या 38RAJ14001)

महोदय,

इस कार्यालय के श्री जे.एस.हाड़ा, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 11.2.2016 को आपकी उपरोक्त खान
के निरीक्षण एवं कार्यालय रिकार्ड की जाँच के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों
का उल्लंघन पाया गया :-

नियम

उल्लंघन का विस्तृत ब्योरा

13(1) Mining operations are not being carried out in accordance with the scheme of mining
approved vide letter number 584(6)(3)(496)/2013-RCM-AJM dated 25.7.2013 to the
extent indicated below:-

i) As per Para 3.4, a total of five pit/exploratory holes were proposed in block no. B-15,
25, 63, 69, 70 and 84 to ascertain the grade and thickness of SMS grade limestone in
first year of SOM period to confirm the probable reserves of 2.904 million tonnes under
proved category, but the proposed exploration has not been carried out.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास
नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की
सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

Harish Sharma

(एच सी शर्मा)

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

का/ए

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।

2) खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

Harish Sharma

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

का/ए

5/12
22/2/16